

गैर प्रकाष्ठ वन उपज की गोला धातु की लाटो की अल्पकालीन निविदा सूचना


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शिवालिक वन प्रभाग की (गैर प्रकाष्ठ वन उपज) गोला धातु की दो लाटों क्रमशः 11/2016-17 (बडकला रेंज) एवं 12/2016-17 (शाकुम्भरी रेंज) में 01 जौलाई 2016 से 30 जून 2017 तक एक वर्ष के लिए गोला धातु स्केप चुगान/ब्रिकी हेतु निविदा दिनांक 22.07.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, 82 राजविहार कालोनी, पेपर मिल रोड, सहारनपुर में आमन्त्रित की जाती है। निविदायें रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त कराना होगा। अन्य माध्यम से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाएँ उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे गठित समिति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जायेगे। लिफाफे सीलबन्द होने चाहिये एवं उनके ऊपर गोला धातु की लाट संख्या, जिसके लिए कय का निविदा दिया जा रहा है, लिखा होना चाहिए। निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग न की जायें अन्यथा निविदा की दरों को मान्य नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक, यदि प्रयाप्त निविदाएँ प्राप्त नहीं होती हैं, तो लाटों को नीलाम द्वारा विक्रय किया जायेगा। जिसकी तिथि अलग से सूचित की जायेगी। निविदा पत्र किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करना होगा:-

- 1 निविदा निर्धारित प्रारूप पर देना होगा, जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दिनांक 20.07.2016 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रत्येक लाट की निविदा अलग लिफाफे में देनी होगी।
- 2 लाट संख्या 11/2016-17 के लिए रू0 2,00,000.00(रुपये दो लाख) तथा लाट सं0 12/2016-17 के लिए रू0 50,000.00(रुपये पचास हजार)बन्धक धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. सी.डी.ए.या पोस्ट ऑफिस की एन.एस.सी'के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम बन्धक हो,होना आवश्यक है।
- 3 निविदा दाता को स्थाई निवास प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, की प्रमाणित प्रति।
- 4 निविदा दाता का चरित्र प्रमाण, जो जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की प्रमाणित प्रति।
- 5 निविदा दाता के व्यापार कर विभाग से रजिस्ट्रेशन एवं आयकर विभाग से जारी पैन नं0की प्रमाणितप्रति।

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार होगी :-

- 1 वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के बिक्री में सामान्य नियम लागू होंगे।
- 2 निविदा निरस्त/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का सुरक्षित रहेगा।
- 3 किसी भी विवाद की दशा में वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- 4 यदि सेना द्वारा फायरिंग फायरिंग नहीं की जाती है, तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 5 निविदा स्वीकृत होने के तुरन्त बाद निविदादाता को नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर एवं स्टाम्प शुल्क आदि जो भी कर, कार्य अवधि के समय लागू होंगे, जमा करने होंगे। किसी भी दशा में जमा धनराशि वापस नहीं होगी। विक्रय मूल्य एवं जमानत के अतिरिक्त अन्य सभी कर संबंधित विभाग की दरों के आधार पर जमा करना होगा।
- 6 वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय के निर्देशानुसार 01 अप्रैल से 15 जौलाई तक वन क्षेत्रों में सेना द्वारा युद्धभ्यास प्रतिबन्धित रहेगा।
- 7 लाट में कार्य के समय (स्केप) खोखे को उठाते समय यदि विस्फोट की कोई घटना होती है तो उसके लिए संबंधित ठेकेदार या उसका कारिन्दा की जिम्मेदारी होगी, विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर।

पत्रांक 3995/22-1 दिनांकित।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयक निविदा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
- 2 मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, मेरठ।
- 3 वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा तिथि का अनुमोदन एवं पर्यवेक्षक के रूप किसी अधिकारी को नामित करने की कृपा करें।
- 4 जिलाधिकारी सहारनपुर।
- 5 समस्त प्रभागीय वनाधिकारी सहारनपुर एवं मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
- 6 जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर।
- 7 एन0आई0सी0क्लेक्ट्रेट, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विषयक निविदा को जिला स्तरीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
- 8 उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त क्षेत्रीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह अपने स्तर से वृहद प्रचार प्रसार करें।
- 9 पंजीकृत समितियां।
- 10 प्रभागीय कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।

प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर।

शिवालिक वन प्रभाग की वर्ष 2016-17 में विक्रय की जाने वाली गैर प्रकाश वन उपज गोला धातु की लाटों की विक्रय सूची

लॉट संख्या	वन उपज	रेंज का नाम	वन खण्ड	खोल का नाम	पैदावार	कार्य अवधि	निकटतम सड़क	अन्य विवरण
11/2016-17	गोला धातु	बडकला,	खैरोवाली पू० खैरोवाली प० चपडी	खैरोवाली बीट चपडी बीट	गोलो के टुकडे लोहा, तांबा, जस्ता, पीतल आदि।	30-06-2017 तक	बा०बाग सफीपुर मोटर मार्ग बा०बाग स०पुर या चकरौता रोड	1. फायरिंग के दौरान गोलो के टुकडो को एकत्र करना वर्जित है। 2. गोलो के टुकडो को एकत्र करने में किसी भी प्रकार की जानमाल की क्षति का विभाग उत्तरदायी नही होगा। 3. टुकडो को खोदकर निकालना वर्जित है। 4. गोलो के टुकडो को एकत्र करने के लिए प्रत्येक आदमी के पास वन विभाग द्वारा सत्यापित आज्ञा पत्र होना अनिवार्य है।
12/2016-17	गोला धातु	शाकुम्मरी	बडकला प० बडकला पू०	बडकला बीट संहरा कोठरी	-	30-06-2017 तक	वाया नागल, बेहट शाकु० मार्ग	--- तदैव ---


प्रभागीय वनीधिकारी,
शिवालिक वन प्रभाग,
सहारनपुर।